रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28122021-232216
CG-DL-E-28122021-232216

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5029] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 28, 2021/पौष 7, 1943
No. 5029] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 28, 2021/PAUSA 7, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2021

(आय-कर)

का.आ. 5429(अ).—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 250 की उपधारा (6ख) और (6ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3296(अ), तारीख 25 सितंबर, 2020 और का.आ. 3297 तारीख 25 सितंबर, 2020 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित की गई थी, पहचान विहीन अपील स्कीम, 2020 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम पहचान विहीन अपील स्कीम, 2021 है ;

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी ।

2. **परिभाषाएं-** (1) इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(i) "अधिनियम" से आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) अभिप्रेत है ;

(ii) "प्रेषिती" का वही अर्थ होगा जो उसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में है ;

(iii) "अपील" से अधिनियम की धारा 246क या धारा 248 के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा फाइल अपील अभिप्रेत है ;

(iv) "अपीलार्थी" से अधिनियम की धारा 246क या धारा 248 के अधीन अपील फाइल करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(v) "प्राधिकृत प्रतिनिधि" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 288 की उपधारा (2) में है ;

(vi) "स्वचालित आबंटन प्रणाली" से संसाधनों के उपयोग के अनुकूलन की दृष्टि से उपयुक्त प्रौद्योगिक औजारों के उपयोग द्वारा जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग शामिल है, मामलों के यदृच्छया आबंटन के लिए प्रतीक गणित, अभिप्रेत है ;

(vii) "कम्प्यूटर संसाधन" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ट) में है ;

(viii) "कम्प्यूटर प्रणाली" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ठ) में है ;

(ix) "अपीलार्थी का कम्प्यूटर स्रोत" से आयकर विभाग के नामनिर्दिष्ट पोर्टल में अपीलार्थी का रजिस्ट्रीकृत खाता या रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नंबर से संयुक्त मोबाइल ऐप या रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता शामिल है, अभिप्रेत है ;

(x) "अंकीय हस्ताक्षर" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (त) में है ;

(xi) "नामनिर्दिष्ट पोर्टल" से राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केन्द्र के भारसाधक आयकर प्रधान मुख्य आयुक्त या आयकर प्रधान महानिदेशक द्वारा अभिहित वेब पोर्टल अभिप्रेत है ;

(xii)"ई-अपील" से नामनिर्दिष्ट पोर्टल में अपीलार्थी के रजिस्ट्रीकृत खाते के माध्यम से 'ई-अपील' सुविधा में इलैक्ट्रानिक ढंग से संचालित कार्यवाही अभिप्रेत है ;

(xiii) "इलैक्ट्रानिक रिकार्ड" का वही अर्थ होगा जो सुचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (न) में है ;

(xiv) "ई-मेल" या "इलैक्ट्रानिक मेल" और "इलैक्ट्रानिक मेल मैसेज" से कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सिस्टम, कम्प्यूटर संसाधन या संसूचना युक्ति, जिसके अंतर्गत पाठ में संलग्नक, चित्र, श्रव्य, दृश्य और कोई अन्य इलैक्ट्रानिक अभिलेख, जिसे संदेश के साथ संचारित किया जा सकता है, पर सृजित या संचारित या प्राप्त कोई संदेश या सूचना अभिप्रेत है ;

(xv) "हैस फंक्शन" और "हैस रिजल्ट" के वही अर्थ होंगे, जो उनके सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 3 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में हैं ;

(xvi) "मोबाइल ऐप" से मोबाइल युक्तियों के लिए विकसित आय-कर विभाग का एप्लीकेशन साफ्टवेयर अभिप्रेत है, जिसे अपीलार्थी के रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नम्बर पर डाउनलोड और इंस्टाल किया जाता है ;

(xvii) "राष्ट्रीय पहचान विहीन ई-निर्धारण केन्द्र" से अधिनियम की धारा 143ख के अधीन स्थापित और अधिसूचित राष्ट्रीय पहचान विहीन ई-निर्धारण केन्द्र अभिप्रेत है ;

(xviii) "रियल टाइल अलर्ट" से कोई संसूचना अभिप्रेत है, जो उसे इलैक्ट्रानिक संसूचना के परिदान के संबंध में सतर्क करने के लिए उसके रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नम्बर पर शार्ट मैसेजिंग सर्विस द्वारा या उसके मोबाइल ऐप पर अपडेट द्वारा या उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल द्वारा भेजा जाता है ;

(xix) अपीलार्थी के "रजिस्ट्रीकृत खाता" से अभिहित पोर्टल में अपीलार्थी द्वारा रजिस्ट्रीकृत इलैक्ट्रानिक फाइलिंग खाता अभिप्रेत है ;

(xx) "रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता" से वह ई-मेल पता अभिप्रेत है, जिस पर प्रेषिती को इलैक्ट्रानिक संसूचना परिदत्त या संचारित की जा सकती है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है –

(क) अभिहित पोर्टल में रजिस्ट्रीकृत प्रेषिती के इलैक्ट्रानिक फाइलिंग खाते में उपलब्ध ई-मेल पता ; या

(ख) प्रेषिती द्वारा प्रस्तुत किए गए अंतिम आय-कर विवरणी में उपलब्ध ई-मेल पता ; या

(ग) प्रेषिती से संबंधित स्थायी खाता संख्यांक डाटा बेस में उपलब्ध ई-मेल पता ; या

(घ) प्रेषिती से कोई व्यष्टि होने की दशा में, जिसके पास आधार संख्या है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के डाटा बेस में उपलब्ध प्रेषिती का ई-मेल पता ; या

(ङ) प्रेषिती के कंपनी होने की दशा में, कंपनी का कारपोरेट कार्य मंत्रालय की सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध ई-मेल पता ; या

(च) प्रेषिती द्वारा आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्ति को उपलब्ध कराया गया कोई ई-मेल पता ।

(xxi) अपीलार्थी की "रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नम्बर" से अभिहित पोर्टल में अपीलार्थी द्वारा रजिस्ट्रीकृत इलैक्ट्रानिक फाइलिंग खाते के यूजर प्रोफाइल में प्रकट होने वाला अपीलार्थी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि का मोबाइल नम्बर ;

(xxii) "नियम" से आय-कर नियम, 1662 अभिप्रेत है ;

(xxiii) "वीडियो कान्फ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी" से रियल टाइम में लोगों के बीच संसूचना हेतु विभिन्न अवस्थानों पर उपयोक्ता द्वारा श्रव्य-दृश्य सिगनलों की प्राप्ति और संचारण के लिए प्रौद्योगिकी समाधान अभिप्रेत है ।

(2) इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों, जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, किन्तु अधिनियम में परिभाषित की गई हैं, के वही अर्थ होंगे, जो उनके अधिनियम में है ।

3. स्कीम का क्षेत्र-- इस स्कीम के अधीन अपील का निपटारा ऐसे प्रादेशिक क्षेत्र, अथवा व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्ग, अथवा आय अथवा आय के वर्ग अथवा मामले अथवा मामले के वर्ग, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, के संबंध में किया जाएगा ।

4. पहचान विहीन अपील केन्द्र-- (1) इस स्कीम के प्रयोजन के लिए, बोर्ड निम्नलिखित की स्थापना कर सकेगा –

(i) केन्द्रीकृत रीति में ई-अपील कार्यवाहियों के संचालन को सुविधाजनक बनाने हेतु एक राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केन्द्र ; और

(ii) अपील इकाईयां जिसे आयुक्त (अपील) द्वारा ई-अपील कार्यवाहियों को संचालित करने को सुकर बनाने के लिए आवश्यक समझा गया है ।

(2) इस स्कीम के अधीन यथा आवश्यक सूचना या दस्तावेज अथवा साक्ष्य या अन्य ब्यौरे के संबंध में आयुक्त (अपील) और अपीलार्थी या अन्य किसी व्यक्ति या निर्धारण अधिकारी के मध्य सभी संसूचना राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केन्द्र के माध्यम से की जाएगी ।

(3) उप-पैरा (1) के खंड (ii) में निर्दिष्ट अपील इकाई के पास निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात् :-

(क) एक आयुक्त (अपील) ;

(ख) बोर्ड द्वारा यथा आवश्यक समझे जाने वाले आयुक्त (अपील) की सहायता के लिए अन्य ऐसे आय-कर प्राधिकारी, लिपिक वर्गीय कर्मचारीवृन्द, कार्यकारी अथवा परामर्शदाता ।

5. अपील की प्रक्रिया.- (1) पैरा 3 में निर्दिष्ट अपील का निपटारा निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार इस स्कीम के अधीन किया जाएगा, अर्थात् :-

(i) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केन्द्र स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से किसी विनिर्दिष्ट अपील इकाई के आयुक्त (अपील) को निपटान के लिए अपील समानुदेशित करेगा ;

(ii) अपील के समानुदेशन पर, आयुक्त (अपील),-

(क) यदि अपील अधिनियम की धारा 249 के अधीन स्वीकृत समय-सीमा के बाद फाइल की गई है, तो अपील फाइल करने में विलंब को माफ कर सकेगा और खंड (भ) के अधीन अपील में पारित किए गए आदेश में ऐसी माफी या अन्यथा के लिए कारणों को अभिलिखित करेगा ;

(ख) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केन्द्र के माध्यम से अपीलार्थी को उसे नोटिस में निर्दिष्ट समय और तारीख के भीतर अपना निवेदन फाइल करने के लिए कहते हुए, एक नोटिस दिया जाएगा और ऐसे नोटिस की एक प्रति निर्धारण अधिकारी को भी या तो प्रत्यक्ष या राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केन्द्र के माध्यम यथास्थिति भेजी जाएगी ;

(ग) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केन्द्र के माध्यम से अपीलार्थी या अन्य किसी व्यक्ति जैसा भी मामला हो, से ऐसी अन्य जानकारी, दस्तावेज या साक्ष्य प्राप्त कर सकेगा ;

(घ) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केन्द्र के माध्यम से निर्धारण अधिकारी की कोई रिपोर्ट या तो प्रत्यक्ष या राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केन्द्र के माध्यम से, जैसा भी मामला हो अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई अपील या जानकारी, दस्तावेज या साक्ष्य के आधार पर प्राप्त कर सकेगा ;

(ङ) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केन्द्र के माध्यम से अधिनियम की धारा 250 की उपधारा (4) के अधीन अतिरिक्त जांच करने और इसके संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्धारण अधिकारी से या तो सीधे या राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केन्द्र के माध्यम से, चाहे जैसा भी मामला हो, निवेदन कर सकेगा ;

(च) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केन्द्र के माध्यम से यथास्थिति अपीलार्थी या किसी अन्य व्यक्ति पर या यथास्थिति निर्धारण अधिकारी पर या तो प्रत्यक्ष या राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केन्द्र के माध्यम से ऐसी सूचना, दस्तावेज या साक्ष्य या रिपोर्ट जो आयुक्त (अपील) द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए या जो अपील कार्यवाही से सूसंगत हो, विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर प्रस्तुत करने के लिए, नोटिस की तामील कर सकेगा ;

(iii) यथास्थिति, अपीलार्थी या अन्य व्यक्ति खंड (ii) के उपखंड (ख), (ग) या (च) में निर्दिष्ट नोटिस के उत्तर में, इसमें निर्दिष्ट तारीख और समय के भीतर या ऐसी विस्तारित तारीख और समय पर जो राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केन्द्र के माध्यम से आयुक्त (अपील) को इस निमित्त किए गए आवेदन के आधार पर अनुज्ञात की गई हो, रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ;

(iv) यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या तो प्रत्यक्ष या राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केन्द्र के माध्यम से खंड (ii) के उपखंड (घ), (ङ) या (च) में निर्दिष्ट नोटिस के उत्तर में, इसमें निर्दिष्ट तारीख और समय के भीतर या ऐसी विस्तारित तारीख और समय पर जो राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केन्द्र के माध्यम से आयुक्त (अपील) को इस निमित्त किए गए आवेदन के आधार पर अनुज्ञात की गई हो, रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा;

(v) अपीलार्थी राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केन्द्र के माध्यम से आयुक्त (अपील) को अपील के अतिरिक्त आधारों को ऐसे प्रारूप में जो राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केन्द्र द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए, उसके द्वारा फाइल की गई अपील में ऐसे आधारों के लोप के कारणों को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए फाइल कर सकेगा ।

(vi) जहां अपील का अतिरिक्त आधार फाइल किया गया है-

(क) आयुक्त (अपील), राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र के माध्यम से, टिप्पणियां प्रदान करने के लिए, यदि कोई हों, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी को या सीधे या राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र के माध्यम से, अपील का अतिरिक्त आधार भेजेंगे;

(ख) निर्धारण अधिकारी को या तो सीधे या राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र के माध्यम से, यथास्थिति, विनिर्दिष्ट तारीख और समय अथवा इस निमित्त किए गए आवेदन के आधार पर यथा विस्तारित किए जा सकने वाले तारीख और समय के भीतर अपनी टिप्पणियां राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र के माध्यम से, आयुक्त (अपील), को प्रस्तुत करेगा;

(ग) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी को या सीधे या राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र के माध्यम से टिप्पणियों की प्राप्ति पर आयुक्त (अपील),को ऐसी टिप्पणियां भेजेगा, और जहां कोई टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं की जातीं, आयुक्त (अपील), को सूचित करेगा;

(घ) आयुक्त (अपील), यथास्थिति,निर्धारण अधिकारी को या सीधे या राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र के माध्यम से प्राप्त टिप्पणियां, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित करेगा;-

(क) यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपील के प्ररुप से अतिरिक्त आधार का लोप दुराग्रहपूर्ण अथवा अतार्किक नहीं था, ऐसा आधार स्वीकार करेगी; अथवा

(ख) खंड (x) के अधीन पारित अपील आदेश में अभिलिखित करने वाले कारणों के लिए अन्य किसी मामले में, अतिरिक्त आधार स्वीकार नहीं करेगी ;

(vii) अपीलार्थी, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी को या सीधे या राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र के माध्यम से आयुक्त (अपील), को राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र के माध्यम से उसके समक्ष कार्यवाहियों के दौरान उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से भिन्न, राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र द्वारा विनिर्दिष्ट किए जा सकने वाले ऐसे प्ररूप में उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से भिन्न अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत कर सकेगा जिसमें यह विनिर्दिष्ट करेगा कि यह मामला नियमों के नियम 46क के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट आपवादिक परिस्थितियों के अन्तर्गत किस प्रकार आता है;

(viii) जहां अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है,-

(क) आयुक्त (अपील), राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र के माध्यम से नियमों के नियम 46क के अनुसार अतिरिक्त साक्ष्य की स्वीकार्यता पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी को या सीधे या राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र के माध्यम से अतिरिक्त साक्ष्य भेजेगा;

(ख) निर्धारण अधिकारी को या सीधे या राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र के माध्यम से यथास्थिति, विनिर्दिष्ट तारीख और समय द्वारा इस निमित्त किए गए आवेदन के आधार पर यथा अनुज्ञात विस्तारित ऐसे समय के भीतर उपखंड(क) में यथा निर्दिष्ट रिपोर्ट राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र के माध्यम से आयुक्त (अपील),को प्रस्तुत करेगा;

(ग) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र, निर्धारण अधिकारी को या सीधे या राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र के माध्यम से यथास्थिति, रिपोर्ट की प्राप्ति पर आयुक्त (अपील),को ऐसी रिपोर्ट भेजेगा, जहां ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत की जाती है, आयुक्त (अपील),को सूचित करेगा;

(घ) आयुक्त (अपील) अतिरिक्त साक्ष्य और रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी द्वारा या सीधे या राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र के माध्यम से, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के लिए अतिरिक्त साक्ष्य को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, और यह खंड (x) के अधीन पारित अपील आदेश का एक हिस्सा होगा;

(ङ) आयुक्त (अपील) अपीलीय कार्यवाहियों में ऐसे साक्ष्य को लेने से पूर्व अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले ऐसे साक्ष्य की जांच अथवा साक्षी की प्रति परीक्षा के लिए अथवा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अथवा साक्षी के प्रत्युत्तर में ऐसे साक्ष्य अथवा दस्तावेज अथवा किसी साक्षी को पेश करने के लिए, यथास्थिति,निर्धारण अधिकारी द्वारा या तो सीधे या राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र के माध्यम से, राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र को एक अवसर प्रदान करने के लिए एक नोटिस प्रस्तुत करेगी तथा उसकी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तथा यथास्थिति,निर्धारण अधिकारी द्वारा या सीधे या राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र के माध्यम से, ऐसा नोटिस राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र को भेजेगी;

(च) निर्धारण अधिकारी द्वारा या सीधे या राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र के माध्यम से, यथास्थिति, विविनिर्दिष्ट तारीख और समय अथवा राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र के माध्यम से, आयुक्त (अपील) को इस संबंध में किए गए आवेदन के आधार पर ऐसे विस्तारित की जाने वाली तारीख और समय के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा;

(छ) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र,यथास्थिति निर्धारण अधिकारी द्वारा या सीधे या राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत रिपोर्ट भेजेगा अथवा जहां ऐसी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है, आयुक्त (अपील) को सूचित करेगा;

(ज) निर्धारण अधिकारी द्वारा या सीधे या राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र के माध्यम से अपीलीय कार्यवाही से सुसंगत, अपीलार्थी द्वारा कोई दस्तावेज़ या साक्ष्य प्रस्तुत करने या किसी साक्षी की परीक्षा करने का निदेश देने के लिए राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र के माध्यम से आयुक्त (अपील) से अनुरोध कर सकेगा ;

(झ) आयुक्त(अपील) खंड (ii) के उप-खंड (ङ) में यथानिर्दिष्ट अपील कार्यवाही में पूछताछ करने के प्रयोजन से या जहां उप-खंड (ज) में निर्दिष्ट अनुरोध प्राप्त होता है, यदि वह ठीक समझे तो एक नोटिस प्रस्तुत करें -

(क) जिसमें अपीलार्थी को ऐसा दस्तावेज़ या साक्ष्य प्रस्तुत करने का निदेश देगी जो वह विनिर्दिष्ट करे; या

(ख) साक्षी होने के नाते, किसी अन्य व्यक्ति की परीक्षा के लिए;

और राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र को ऐसा नोटिस भेजेगी;

(ञ) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र, अपीलार्थी या अन्य किसी व्यक्ति को, साक्षी होने के नाते, उप-खंड (i) में निर्दिष्ट नोटिस भेजेगा;

(ट) अपीलार्थी या अन्य कोई व्यक्ति यथास्थिति, नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख और समय के भीतर या राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र के माध्यम से आयुक्त (अपील) से इस निमित्त दिए गए आवेदन के आधार पर, बढाई गई तारीख और समय के भीतर उप-खंड (ञ) में निर्दिष्ट नोटिस पर अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत करेगा;

(ठ) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र, यथास्थिति, अपीलार्थी या अन्य किसी व्यक्ति से प्रतिउत्तर की प्राप्ति पर आयुक्त (अपील) को ऐसे प्रति उत्तर भेजेगा जहाँ ऐसा उत्तर फाइल नहीं किया जाता है,तदनुसार आयुक्त (अपील) को सूचित करेगा;

(ix) जहाँ आयुक्त (अपील) किसी निर्धारण या किसी शास्ति में वृद्धि करना या प्रतिदाय की रकम को कम करना चाहती है,-

(क) आयुक्त (अपील) एक कारण बताओ नोटिस प्रस्तुत करेगी जिसमे, यथास्थिति, ऐसी वृद्धि या कटौती के कारण अंतर्विष्ट होंगे, और राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र के माध्यम से ऐसा नोटिस भेजेगी ;

(ख) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र, उप-खंड (क) में यथानिर्दिष्ट नोटिस अपीलार्थी को भेजेगा ;

(ग) अपीलार्थी नोटिस में विनिर्दिष्ट समय या इस संबंध में दिए गए आवेदन के आधार पर अनुज्ञात ऐसे बढ़े समय के भीतर, अपना उत्तर राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र को प्रस्तुत करेगा;

(घ) जहाँ अपीलार्थी द्वारा प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया जाता है, राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र ऐसे प्रतिउत्तर को आयुक्त (अपील) को भेजेगा, या जहाँ ऐसा कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, वह आयुक्त (अपील) को सूचित करेगा I

(x) आयुक्त (अपील), उसके पश्चात -

(क) अवधारण, उस पर विनिश्चय और विनिश्चय के कारण के लिए बिंदुओं का कथन करते हुए, अधिनियम की धारा 251 के उपबंधों के अनुसार लिखित रूप में एक अपील आदेश प्रस्तुत करेगा; और

(ख) इसमे आरंभ की जाने वाली शास्ति यदि कोई हो, कार्यवाहियों के ब्यौरों के साथ राष्ट्रीय पहचान विहीन अपीलीय केंद्र को वैसे डिजिटल रूप में हस्ताक्षर करने के पश्चात ऐसा आदेश भेजेगी;

(xi) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र खंड (x) के उप-खंड (ख) में, यथानिर्दिष्ट, आदेश की प्राप्ति पर,-

(क) अपीलार्थी को ऐसे आदेश के बारे में सूचित करेगा;

(ख) अधिनियम की धारा 250 की उपधारा (7) के अनुसार प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त को ऐसे आदेश के बारे में सूचित करेगा;

(ग) ऐसे आदेश को निर्धारण अधिकारी द्वारा, यथास्थिति, या तो सीधे या राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र के माध्यम से ऐसी कार्रवाई के लिए भेजेगा, जो अधिनियम के अधीन अपेक्षित हो;

(घ) जहां आदेश में शास्ति के आशय की सिफारिश की गई है, अपीलार्थी को नोटिस देते हुए कारण बताने को कहा जाएगा कि अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन, उस पर शास्ति क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए;

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, अपील, अपील की कार्यवाही के किसी भी चरण में, यदि आवश्यक हो, अधिनियम की धारा 120 के अनुसार आदेश द्वारा ऐसे आयुक्त (अपील) को स्थानांतरित की जा सकती है, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

6. शास्ति की कार्यवाहियां - (1) आयुक्त (अपील), अपील की कार्यवाही के दौरान, यथास्थिति, अपीलार्थी या किसी अन्य व्यक्ति, द्वारा इस स्कीम के अधीन, जारी किए गए किसी भी नोटिस, निदेश या आदेश का अनुपालन नहीं करने पर,अपीलार्थी को यह कारण बताने के लिए कि अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए, किसी भी शास्ति की कार्यवाही को आरंभ करने के लिए राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केन्द्र के माध्यम से एक नोटिस भेज सकता है ।

(2) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र उपपैरा (1) के अधीन, नोटिस के प्राप्त होने पर,यथास्थिति, अपीलार्थी या किसी अन्य व्यक्ति को नोटिस देते हुए कारण बताने को कहा जाएगा ;

(3) अपीलार्थी या कोई अन्य व्यक्ति, यथास्थिति, राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केन्द्र के माध्यम से आयुक्त (अपील),को ऐसे नोटिस में विनिर्दिष्ट समय या इस तरह के विस्तारित समय के भीतर, जैसा कि इस संबंध में किए गए आवेदन के आधार पर अनुमति दी जा सकती है, पैरा 5 के उप-पैरा (1) के खंड (xi) के उप-खंड (घ) या उप-पैरा (2) में निर्दिष्ट कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रस्तुत करेगा;

(4) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केन्द्र, यथास्थिति,अपीलार्थी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया, आयुक्त (अपील) को भेजेगा या जहां ऐसी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है, आयुक्त (अपील) को सूचित करें।

(5) आयुक्त (अपील), प्रस्तुत किए गए प्रतिउत्तर सहित अभिलिखित में उपलब्ध सभी सुसंगत सामग्रियों को ध्यान में रखने के पश्चात ,यथास्थिति, अपीलार्थी या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा,

(क) एक शास्ति आदेश प्रस्तुत करेगा और डिजिटल हस्ताक्षर करने के पश्चात ऐसे आदेश की एक प्रति राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र को भेजेगी; या

(ख) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र को सूचित करते हुए कारणों को रिकॉर्ड करने के पश्चात शास्ति हटा देगी।

(6) जहां किसी मामले को आयुक्त (अपील) ने शास्ति हटा दी गई है, राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र इसकी सूचना भेजेगा, या जहां आयुक्त (अपील) जुर्माना लगाने का आदेश भेजता है, राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र इस तरह के आदेश को संसूचित करेगा, -

(क) अपीलार्थी या अन्य कोई व्यक्ति, यथास्थिति; और

(ख) निर्धारण अधिकारी द्वारा या तो सीधे या राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र के माध्यम से ऐसी कार्यवाही के लिए, जो अधिनियम के अधीन अपेक्षित है।

7. परिशोधन कार्यवाहियां – (1) आयुक्त (अपील) के अभिलेख में प्रकटमान किसी त्रुटि का परिशोधन करने के दृष्टिकोण से लिखित में पारित किए जाने वाले आदेश द्वारा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा पारित किसी आदेश में संशोधन कर सकेगा ।

(2) इस स्कीम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट त्रुटि के परिशोधन के लिए आवेदन निम्नलिखित द्वारा राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केन्द्र में फाइल किया जा सकेगा :–

(क) यथास्थिति, अपीलार्थी या कोई अन्य व्यक्ति; या

(ख) आयुक्त (अपील) जिसने आदेश पारित किया है; या

(ग) निर्धारण अधिकारी, यथास्थिति, प्रत्यक्ष रूप से या राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केन्द्र के माध्यम से ।

(3) जहां उप-पैरा (2) में निर्दिष्ट कोई आवेदन राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केन्द्र द्वारा प्राप्त किया जाता है तो वह ऐसे आवेदन को स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से आयुक्त (अपील) को समनुदेशित करेगा ।

(4) आयुक्त (अपील) आवेदन का परीक्षण करेगा और निम्नलिखित को अवसर प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केन्द्र को नोटिस भेजेगा –

(क) यथास्थिति, अपीलार्थी या किसी अन्य व्यक्ति को, जहां आवेदन, यथास्थिति, प्रत्यक्ष रूप से या राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केन्द्र के माध्यम से निर्धारण अधिकारी द्वारा फाइल किया गया है; या

(ख) यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केन्द्र को, जहां आवेदन, यथास्थिति, अपीलार्थी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केन्द्र के माध्यम से निर्धारण अधिकारी द्वारा फाइल किया गया है; या

(ग) यथास्थिति, अपीलार्थी या किसी अन्य व्यक्ति को, या निर्धारण अधिकारी को, जहां आवेदन उप-पैरा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट आयुक्त (अपील) द्वारा फाइल किया गया है ।

(5) राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केन्द्र उप-पैरा (4) में निर्दिष्ट नोटिस, यथास्थिति, अपीलार्थी या किसी अन्य व्यक्ति या निर्धारण अधिकारी को, यथास्थिति, प्रत्यक्ष रूप से या राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केन्द्र को या हेतुक दर्शित करते हुए कि अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन त्रुटियों का परिशोधन क्यों नहीं किया जाना चाहिए, तामील करेगा ।

(6) यथास्थिति, अपीलार्थी या किसी अन्य व्यक्ति, या निर्धारण अधिकारी यथास्थिति, प्रत्यक्ष रूप से या राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केन्द्र के माध्यम से उप-पैरा (5) में यथानिर्दिष्ट नोटिस का उत्तर उसमें विनिर्दिष्ट तारीख और समय के भीतर या ऐसे विस्तारित तारीख और समय के भीतर जो इस निमित्त किए गए आवेदन के आधार पर अनुज्ञात किया जाए, राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केन्द्र को प्रस्तुत करेगा ।

(7) जहां उप-पैरा (6) में यथानिर्दिष्ट उत्तर यथास्थिति, अपीलार्थी या किसी अन्य व्यक्ति या निर्धारण अधिकारी द्वारा यथास्थिति, प्रत्यक्ष रूप से या राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केन्द्र ऐसे उत्तर को आयुक्त (अपील) के पास भेजेगा, या जहां ऐसा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तद्नुसार, आयुक्त (अपील) को सूचित करेगा ।

(8) आयुक्त अपील, यथास्थिति, अपीलार्थी या किसी अन्य व्यक्ति, या निर्धारण अधिकारी द्वारा यथास्थिति, प्रत्यक्ष रूप से या राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत आवेदन और उत्तर, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्, लिखित में आदेश द्वारा, –

(क) त्रुटियों का परिशोधन करेगा; या

(ख) परिशोधन के लिए आवेदन को उसके कारण दर्शित करते हुए, निरस्त करेगा,

तथा आदेश पर डिजिटल हस्ताक्षर करने के पश्चात् इसे राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केन्द्र भेजेगा ।

(9) राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केन्द्र, उप-पैरा (8) में यथानिर्दिष्ट परिशोधन आदेश की प्राप्ति पर ऐसे आदेश को निम्नलिखित को संसूचित करेगा, –

(क) यथास्थिति, अपीलार्थी या किसी अन्य व्यक्ति को; और

(ख) निर्धारण अधिकारी को, यथास्थिति, प्रत्यक्ष रूप से या राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केन्द्र के माध्यम से ऐसी कार्रवाई के लिए जो अधिनियम के अधीन अपेक्षित हो ।

8. अपील कार्यवाहियां – (1) इस स्कीम के अधीन आयुक्त (अपील) द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील अपीलार्थी निर्धारिती के अधिकारिता वाले निर्धारण अधिकारी पर अधिकारिता रखने वाले आयकर अपील अधिकरण के समक्ष की जाएगी ।

(2) स्कीम के पैरा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां आयुक्त (अपील) द्वारा पारित कोई आदेश अपास्त कर दिया जाता है और आयकर अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा आयुक्त (अपील) को प्रतिप्रेषित कर दिया जाता है, राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केन्द्र इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार और कार्रवाई हेतु आदेश को आयुक्त (अपील) को समनुदेशित करेगा ।

9. संसूचना का विनिमय अनन्य रूप से इलैक्ट्रानिक ढंग से होना – इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए,-

(क) राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केन्द्र था अपीलार्थी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के बीच सभी संसूचनाओं का विनिमय अन्यन रूप से इलैक्ट्रानिक ढंग से होगा; और

(ख) राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केन्द्र, राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केन्द्र, निर्धारण अधिकारी और अपील ईकाई के बीच सभी आन्तरिक संसूचनाओं का विनिमय अन्यन रूप से इलैक्ट्रानिक ढंग से होगा ।

10. इलैक्ट्रानिक अभिलेख का अधिप्रमाणन - इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए, इलैक्ट्रानिक अभिलेख का अधिप्रमाणन निम्नलिखित के द्वारा किया जाएगा –

(i) पैरा 5 के उप-पैरा (1) के खंड () के अधीन या पैरा 6 के उपपैरा (5) के अधीन या पैरा 7 के उप-पैरा (8) अधीन पारित आदेश के मामले में आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा उसके डिजीटल हस्तक्षर करके;

(ii) खंड (i) में निर्दिष्ट आदेशों से भिन्न, आयुक्त (अपील) के निमित्त की गई सभी संसूचनाओं हेतु, राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केन्द्र द्वारा उसके निमित्त प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा डिजीटल हस्ताक्षर करके;

(iii) अपीलार्थी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, उसके डिजीटल हस्ताक्षर करके या इलैक्ट्रानिक सत्यापन कूट के अधीन या अभिहित पोर्टल में उसके रजिस्ट्रीकृत खाते में लॉग-ईन करके;

स्पष्टीकरण – इस पैरा के प्रयोजन के लिए, इलैक्ट्रानिक सत्यापन कूट का वही अर्थ होगा जो इसका नियमों के नियम 12 में यथानिर्दिष्ट है ।

11. इलैक्ट्रानिक अभिलेख का परिदान – (1) इस स्कीम के अधीन प्रत्येक नोटिस या आदेश या कोई अन्य "इलैक्ट्रानिक संसूचना" निम्नलिखित तरीकों से संबोधिती, जो अपीलार्थी है, को परिदान किया जाएगा –

(क) अपीलार्थी के रजिस्ट्रीकृत खाते में उसकी एक अधिप्रमाणित प्रति रखकर; या

(ख) अपीलार्थी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते में उसकी एक अधिप्रमाणित प्रति भेजकर; या

(ग) अपीलार्थी के मोबाइल ऐप पर अधिप्रमाणित प्रति अपलोड़ करके जिसके पश्चात् समयोचित चेतावनी भेजकर ।

(2) इस स्कीम के अधीन प्रत्येक नोटिस या आदेश या कोई अन्य इलैक्ट्रानिक संसूचना, संबोधिती के, जो कोई अन्य व्यक्ति है, रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते में उसकी एक अधिप्रमाणित प्रति भेजकर जिसके पश्चात् समयोचित चेतावनी भेजकर परिदान किया जाएगा ।

(3) अपीलार्थी इस स्कीम के अधीन नोटिस या आदेश या कोई अन्य इलैक्ट्रानिक संसूचना का उत्तर अपने रजिस्ट्रीकृत खाते के माध्यम से प्रस्तुत करेगा और राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केन्द्र द्वारा उत्तर के सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने पर सृजित हैश परिणाम अन्तर्विष्ट करने वाली उसकी अभिस्वीकृति भेजे जाने पर, उत्तर अधिप्रमाणित समझा जाएगा ।

(4) जावक का समय और स्थान तथा इलैक्ट्रानिक अभिलेख की रसीद सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 13 के उपबंधों के अनुसार अवधारित किया जाएगा ।

12. केन्द्रों या ईकाइयों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न होना – (1) किसी भी व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से इस स्कीम के अधीन स्थापित राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केन्द्र या अपील इकाई में आयकर प्राधिकारी के समक्ष इस स्कीम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में उपस्थित होना अपेक्षित नहीं होगा ।

(2) यथास्थिति, अपीलार्थी या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि व्यक्तिगत सुनवाई के लिए निवेदन कर सकेगा जिससे वह इस स्कीम के अधीन राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केन्द्र के माध्यम से अपने मौखिक उत्तर या अपने मामले को आयुक्त (अपील) के समक्ष प्रस्तुत कर सके ।

(3) संबंधित आयुक्त (अपील) व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुमति देगा तथा सुनवाई की तारीख और समय अपीलार्थी को राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केन्द्र के माध्यम से संसूचित करेगा ।

(4) ऐसी सुनवाई वीडियो कान्फ्रेसिंग या वीडियो टेलीफोनी के माध्यम से संचालित की जाएगी जिसके अन्तर्गत किसी दूरसंचार अनुप्रयोग साफ्टवेयर का उपयोग भी है जो बोर्ड द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार प्रौद्योगिकीय रूप से साध्य सीमा तक वीडियो कान्फ्रेसिंग या वीडियो टेलीफोनी का समर्थन करता हो ।

(5) इस स्कीम के अधीन अपीलार्थी या किसी अन्य व्यक्ति का कोई परीक्षण या कथन अभिलिखित करना अनन्य रूप से वीडियो कान्फ्रेसिंग या वीडियो टेलीफोनी के माध्यम से आयुक्त (अपील) द्वारा संचालित किया जाएगा जिसके अन्तर्गत किसी दूरसंचार अनुप्रयोग साफ्टवेयर का उपयोग भी है जो बोर्ड द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार प्रौद्योगिकीय रूप से साध्य सीमा तक वीडियो कान्फ्रेसिंग या वीडियो टेलीफोनी का समर्थन करता हो ।

(6) बोर्ड ऐसे अवस्थानों पर जहां आवश्यक हो, वीडियो कान्फ्रेसिंग या वीडियो टेलीफोनी के लिए उपयुक्त सुविधाएं स्थापित करेगा जिसके अन्तर्गत किसी दूरसंचार अनुप्रयोग साफ्टवेयर का उपयोग भी है जो वीडियो कान्फ्रेसिंग या वीडियो टेलीफोनी का समर्थन करता हो, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपीलार्थी या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि या कोई अन्य व्यक्ति इस स्कीम के फायदों से मात्र इस आधार पर वंचित न हो कि अपीलार्थी या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति के पास वीडियो कान्फ्रेसिंग या वीडियो टेलीफोनी तक पहुंच नहीं है ।

13. प्ररुप, ढंग, प्रक्रिया और प्रक्रियागत करना विनिर्दिष्ट करने की शक्ति - राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केन्द्र का प्रभारी आयकर प्रधान मुख्य आयुक्त या आयकर प्रधान महानिदेशक, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से इस स्कीम के अधीन गठित राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केन्द्र या अपील इकाई के स्वचालित और यांत्रिक वातावरण में प्रभावी कार्यकरण के लिए मानक, प्रक्रियाएं और प्रक्रियागत करना अधिकथित करेगा, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित के संबंध में प्ररुप, ढंग, प्रक्रिया और प्रक्रियागत करना भी है, अर्थात्:-

(i) नोटिस, आदेश या किसी अन्य संसूचना की तामील;

(ii) नोटिस, आदेश या किसी अन्य संसूचना के उत्तर में किसी व्यक्ति से कोई जानकारी या दस्तावेज की प्राप्ति;

(iii) व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत उत्तर की अभिस्वीकृति जारी करना;

(iv) "ई-अपील" का उपबंध, जिसके अन्तर्गत लॉग-इन खाता सुविधा, अपील की ट्रैकिंग प्रास्थिति, सुसंगत ब्यौरो को प्रदर्शित करना और डाउनलोड की सुविधा;

(v) जानकारी और उत्तर तक पहुंच, उसका सत्यापन और अधिप्रमाणन, जिसके अन्तर्गत अपील कार्यवाहियों के अधीन प्रस्तुत दस्तावेज भी हैं;

(vi) केन्द्रीयकृत रीति में जानकारी या दस्तावेजों की प्राप्ति, भंडारण और पुनःप्राप्ति;

(vii) संबंधित केन्द्रों और इकाईयों में साधारण प्रशासन और शिकायत निवारण प्रणाली;

(viii) अपील के अतिरिक्त आधार फाइल करना;

(ix) अतिरिक्त साक्ष्य फाइल करना ।

14. अधिनियम के उपबंधों का लागू होना – इस स्कीम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय अधिनियम की धारा 2 के खंड (16क), धारा 120, धारा 129, धारा 131, धारा 133, धारा 134, धारा 136, धारा 140, धारा 154, धारा 155, धारा 282, धारा 282क, धारा 283, धारा 284, अध्याय 20 और अध्याय 21 तथा अन्य उपबंध, आयुक्त (अपील) द्वारा अपील के निपटारे की प्रक्रिया को लागू होंगे ।

[अधिसूचना सं. 139/2021/फा.सं. 370142/66/2021-टीपीएल]

शेफाली सिंह, अवर सचिव